



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजस्व विविध वाद संख्या-40/2024

कमेश भुईयां वगैरह

बनाम्

शिवपुजन प्रसाद वगैरह

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी कमेश भुईयाँ वो गणेश भुईयाँ वो रमेश भुईयाँ वो उनिल भुईयाँ वो सुनील भुईयाँ वो राजेश भुईयाँ सभी के पिता-स्वरूप लखन भुईयाँ वो नैनु भुईयाँ वो मनोज भुईयाँ वो बब्लु भुईयाँ वो अनिल भुईयाँ वो मदन भुईयाँ वो छोटु भुईयाँ सभी के पिता-बिनेश्वर भुईयाँ वो कर्णला भुईयाँ पिता-स्वरूप मंगरा भुईयाँ सभी निवासी ग्राम-राजहार, थाना- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-139 के तहत विपक्षीगण के नाम पर अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा कायम किये गए जमाबंदी को रद्द करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए तथा दोनों पक्षों द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर/बहस दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद वादीगण की ओर से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-139 के अन्तर्गत लाया गया है जिसका कारण यह है कि वादीगण के भूमि का जमाबंदी

अचंल अधिकारी, लातेहार द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में कायम कर दिया गया है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-139 के प्रावधान के तहत उपायुक्त को जमाबंदी रद्द करने का शक्ति प्राप्त है। मौजा-राजहार के खाता सं0-23 प्लॉट सं0-04 रक्खा-1.22ए0 वादीगण के पूर्वज मंगरा भुईयाँ द्वारा भूमि के वास्तविक मालिक हलकनी धोबी से निबंधित केवाला संख्या-132/1946 से खरीद किया गया है तथा उक्त भूमि पर मकान बनाकर रहते आ रहे हैं। उक्त केवाला के क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य थे। वर्ष 1946 में अनुसूचित जाति की भूमि के खरीद बिक्री के लिए उपायुक्त की अनुमति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि छोटानागपुर कास्तकारी संशोधन अधिनियम 1947 के तहत भूमि की बिक्री हेतु उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान को शामिल किया गया है। इस प्रकार वादीगण के पूर्वज द्वारा अपने पक्ष में कराये गए निबंधित केवाला कानूनी रूप से वैध एवं मान्य हैं, जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 का उल्लंघन करके नहीं किया गया है। भूमि खरीदगी के बाद वादीगण के पूर्वज मंगरा भुईयाँ उक्त भूमि के दखल-कब्जा में आ गए तथा उनके नाम पर जमाबंदी कायम कर दिया गया। वादीगण अपने पूर्वज के मृत्यु के बाद उक्त भूमि के दखल-कब्जा में आ गए। आवेदकगण केवालाधारी मंगरा भुईयाँ के वंशज हैं, जो अनुसूचित जाति (SC) के सदस्य हैं तथा गरीब एवं अनपढ़ व्यक्ति हैं। ये लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनके भूमि का डिमाण्ड अचंल अधिकारी, लातेहार द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में खोल दिया गया है। विपक्षी 'साव' जाति के सदस्य हैं। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के

अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति को खरीदने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। विपक्षीगण भूमि पर आकर भूमि को खाली करने के लिए वादीगण को धमकाने लगे तब वादीगण छान-बिन किये तब पता चला कि अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा वादीगण को बिना नोटिस किये चुपके से अनुसूचित जाति की भूमि का डिमाण्ड विपक्षीगण यानी 'साव' जाति के पक्ष में गैर कानूनी तरीके से खोल दिया गया है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के विरुद्ध कोई केवला की जाती है, तो उसे किसी भी कोर्ट के माध्यम से मान्य करार नहीं दिया जा सकता है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(3) में वर्णित है कि "No Transfer of contravention of sub-section(1) shall be registered or shall be in any way recognized as valid by any court, whereas in exercise of civil, criminal or revenue jurisdiction."

मानवीय झारखण्ड उच्च व्यायालय, रांची द्वारा State of Jharkhand and other Vs Arjun Das 2004 में कहा गया है कि अगर सी0एन0टी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर कोई व्यक्ति खरीद बिक्री करता है तो वह खरीद-बिक्री अमान्य होगा। भले ही खरीदार भूमि के कब्जा में भी आ जाए। उसके कब्जा को किसी भी कोर्ट द्वारा Recognise नहीं किया जा सकता है तथा अंचल अधिकारी को ऐसे मामलों में खरीदार का नाम रजिस्टर-11 में दाखिल करने से मना किया गया है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में कहा गया है कि वादीगण को दाखिल खारिज

45
46

वाद में अंचल अधिकारी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसलिए वादीगण Bihar Tenant's Holding (Maintenance of Record) Act की धारा 15 के अनतर्गत दाखिल खारिज अपील वाद दाखिल नहीं कर सकते हैं। धारा-14(2) स्पष्ट करता है कि “The Anchal Adhikari shall issue a general notice and also give notice to the parties concerned to file objection if any within 15 days of the issue of the notice. On receipt of objection if any the Anchal Adhikari shall give reasonable opportunity if the parties concerned to adduce evidence if any and of being heard and dispose of the objection and pass such order as may be deemed necessary.”

अंचल अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नोटिस वादीगण को नहीं दिया गया ना ही उनका पक्ष सुना गया एवं गैर कानूनी तौर से बिना वादीगण को बताये आदेश परित कर दिया। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के धारा-46(3) में स्पष्ट है कि अगर कोई Transfer धारा-46 के उल्लंघन के साथ हुआ है तो उसे किसी भी कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, राजस्व द्वारा मान्य करार नहीं दिया जा सकता है। केवला को ab initio void माना जायेगा। धारा-46(4ए) का प्रावधान सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए है। यह मामला अनुसूचित जाति से संबंधित है।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का वर्ष 1968 में भगेरन ठाकुर एवं केवल सिंह के वाद में यह फैसला आया कि धारा-46(1) सी०एब०टी० एकट में वर्णित प्रावधान असंवैधानिक है, परन्तु इस फैसले को पुनः माननीय उच्च न्यायालय ने मथुरा सिंह बनाम् तेतली डोम

12/3

के बाद में यह कहकर खारिज कर दिया कि धारा-46 सी०एन०टी अधिनियम असंवैधानिक नहीं है। यह कानूनी दृष्टिकोण से सही है चूंकि सी०एन०टी० अधिनियम को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची ने Sital Baitha@Ram and ors Vrs Rudi chamar and ors, citation 2003(4) JCR 233 Jhr. में मथुरा सिंह बनाम् तेतली डोम के फैसले का Interpretation किया है एवं दिनांक 12.07.1971 को किये गये निबंधित केवाला को खारिज किया गया है।

अतः विपक्षीगण के पक्ष में निर्गत अवैध डिमाण्ड को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद कालबाधित एवं चलने योग्य नहीं है तथा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-139 की परिधि से बाहर है। यह वाद दाखिल खारिज के विरुद्ध लाया गया है, जबकि दाखिल खारिज का अलग अधिनियम है और Bihar Tenant's Holding (Maintenance of Record) Act की धारा 15 के अन्तर्गत दाखिल खारिज के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर अपील दाखिल करने का प्रावधान है। इस प्रकार Specific Relief Act की धारा-31 के अन्तर्गत किसी भी निबंधित विक्रय पत्र को तीन वर्षों के अन्दर रद्द करवाने का प्रावधान है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(4ए) के अन्तर्गत किसी भी निबंधित दस्तावेज को रद्द करने हेतु निबंधन की तिथि से 12 वर्षों के अन्दर आवेदन पत्र दाखिल करने का प्रावधान है। उक्त परिपेक्ष्य में यह वाद चलने योग्य नहीं है। आवेदकगण अपना गलत चंशावली देकर इस वाद को

५८
४८

दाखिल किया गया है। मंगरा भुइयाँ के पुत्रों का नाम छदु भुइयाँ एवं मीठू भुइयाँ हैं जो ग्राम-लातेहार के बहेराटांड ठोला के रहने वाले हैं। प्रथम पक्ष के सदस्य मूलतः ग्राम-कोनवार्ड थाना-पांकी जिला-पलामू के निवासी हैं तथा वे लोग ग्राम-बानपुर में अपने नाना के यहाँ रहते हैं। आवेदकगण के पीछे लातेहार के भू-माफिया लगे हुए हैं, जो उन्हें ललकार कर गलत ढंग से भूमि का दावा करा रहे हैं। यह वाद ग्राम-राजहार के खाता संख्या-23, प्लॉट संख्या-04, रक्बा-1.22 ए0 भूमि से संबंधित है। यह बात सत्य है कि मंगरा भुईयाँ ने निबंधित केवाला ढारा हलकनी धोबी से यह भूमि खरीदा था तथा उक्त भूमि का दाखिल खारिज भी मंगरा भुईयाँ के नाम पर हो गया था। मंगरा भुइयाँ की मृत्यु हो गई तथा वे अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी फगुनी भुईनी एवं दो नाबालिंग पुत्र छदु भुइयाँ एवं मीठू भुइयाँ को छोड़ गए। इसके बाद मसोमात फगुनी भुईनी स्वयं एवं नाबालिंग पुत्रों का अभिभावक बनकर निबंधित केवाला संख्या-1456 वर्ष 1977 के ढारा भूमि की बिक्री नन्दकिशोर प्रसाद के साथ कर दिया तथा दखल-कब्जा भी दे दिया। इसके बाद क्रेता नन्दकिशोर प्रसाद भूमि का दाखिल-खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी देना प्रारम्भ कर दिए। फगुनी भुईनी एवं उनके पुत्र जाति की भुइयाँ हैं तथा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(बी) में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को भूमि बिक्री करने के लिए उपायुक्त से सहमति लेने का प्रवधान है। पट्टना उच्च न्यायालय, पट्टना ढारा वर्ष 1968 में भगेरन ठाकुर एवं केवल सिंह के वाद में फैसला फुल बैच के जस्टिसों के ढारा फैसला में कहा गया है कि भारतीय संविधान में

५८
२१२

भूमि का खरीद-बिक्री मौलिक अधिकार के अन्तर्गत आता है। इसलिए बिक्री पर किया गया प्रतिबंध नाजायज है। इस फैसला के आने के बाद पूरे बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछ़ा वर्ग के भूमि का बिक्री बिना परमिशन के शुरू हो गया। उसी फैसले के तहत् मसोमात फगुनी भुईनी द्वारा यह भूमि बिक्री की गई है। भारत सरकार द्वारा दिनांक-20.06.79 को 44वाँ संशोधन के तहत् Article 300A भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि No person shall be deprived of his property save by authority of law. इस प्रावधान के आने के बाद दिनांक-20.06.1979 से प्रतिबंध को पुनः लागू कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय, पटना के बैच के समक्ष मथुरा सिंह बनाम् तेतली डोम का मामला आया, जिसमें फुल बैच के फैसला के पारा-6 में आया कि दिनांक-20.06.1979 के पूर्व जो भी दस्तावेज निबंधित हुआ है, उस दस्तावेज को मौलिक अधिकार के तहत् दावा किया जा सकता है। फगुनी भुईनी द्वारा विष्यादित किया गया दस्तावेज वर्ष 1977 का है। इसलिए मौलिक अधिकार के तहत् यह दस्तावेज सही है। नन्दकिशोर प्रसाद ने उक्त भूमि की बिक्री रघुनाथ प्रसाद के साथ वर्ष 1989 में कर दिया। रघुनाथ प्रसाद द्वारा उक्त भूमि को वर्ष 1994 में नन्दकिशोर प्रसाद, शिवपूजन प्रसाद, शंकर प्रसाद, कैलाश प्रसाद चारों के पिता-सीतायम साव के साथ कर दिया गया। चारों खरीदार भूमि के कब्जा में आकर अंचल से दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी देने लगे। नन्दकिशोर प्रसाद ने अपने हिस्से की भूमि लालबिहारी यादव, अर्जुन यादव, कृष्ण यादव के साथ बेच दिये। शंकर प्रसाद ने अपने हिस्से की भूमि संगीता देवी, महेन्द्र प्रसाद

के साथ बेच दिये। कैलाश प्रसाद भी अपने हिस्से की भूमि जॉन फिलीप तिर्की के पास बेच दिये। शिवपूजन प्रसाद भी रकबा-0.04 एकड़ भूमि विजय सिंह के पास बेच दिये हैं। सभी खरीदार अपने खरीदगी भूमि पर दखल-कब्जा में हैं। माननीय झारखण्ड उच्च व्यायालय, रांची के द्वारा निर्धारित याचिका सं-6250-6253-6275-6277-6281-6283/2016 में स्पष्ट है कि अगर विक्रेता रैयत का लगान कायम है तो क्रेता के नाम से लगान कायम करना आवश्यक है। उक्त याचिका में दिनांक- 03.09.2019 को पारित आदेश का मुख्य बिन्दु यह है कि “Mutation rent receipts after vesting of estate in the state of Bihar under provision of Bihar Land Reform Act, 1950 enquires was conduct regarding jamabandi created by landlord and same was maintained and jamabandi was opened and continued in name of ancestor of vendor of petitioners by order by revenue authorities and since then rent was being paid to stayed and was coning in peaceful possession of major portion of land used for landed property after getting land transferred in their favour have made applicants before concerned circle officer of mutating their name of their favour for acceptinh rent and in lieu thereof to issue rent receipts but so such decision has been taken writ of mandamus is required to be issued upon concerned respondents since circle officer is sitting right over the matter without any authority of law.”

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण द्वारा मंगरा भुइयाँ का गलत ढंग से वंशज बताकर दाखिल किये गये वाद की कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

१८
२४

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन किया। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा लखन भुईयाँ पिता स्व0 मंगरा भुईयाँ लातेहार (राजहार) के नाम पर निर्गत लाल राशन कार्ड संख्या-009551 दिनांक-20.09.2003 की प्रति प्रस्तुत किया गया है। उक्त राशन कार्ड में पार्वती, मनोज, सुनील, अमिल, सुमित्रा, सरिता एवं शनिचरवा देवी का का नाम दर्ज है। कार्डधारी लखन भुईयाँ से शनिचरवा देवी का संबंध माँ अंकित है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

विपक्षीगण द्वारा मंगरा भुईयाँ की पत्नी फगुनी भुईनी से निबंधित केवाला संख्या-1456 वर्ष 1977 के माध्यम से बन्दकिशोर प्रसाद द्वारा भूमि क्रय किये जाने तथा फगुनी भुईनी एवं उनके पुत्र छतु भुईयाँ तथा मीठु भुईयाँ को बहेराटोली, लातेहार निवासी बताया गया है।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत छतु भुईयाँ उक्त करीब-68 वर्ष एवं मीठु भुईयाँ उक्त करीब-65 वर्ष का शपथ पत्र संख्या-27246/01.09.2023 की जाया प्रति रकबा-1.22 ए0 भूमि उनके पिता स्व0 मंगरा भुईयाँ एवं माता स्व0 फगुनी भुईनी के नाम से नहीं था। उक्त भूमि का कोई भी दस्तावेज नहीं है और नहीं उनके माता-पिता द्वारा कभी जानकारी दिया गया। उनके माता-पिता का नाम भूमि में आता है वह साफ तौर पर जालसाजी है।

वादग्रस्त भूमि मौजा-राजहार के खाता संख्या-23 प्लॉट संख्या-04 रकबा-1.22 एकड़ भूमि के

५८
२१८

खतियानी ऐयत हलकनी धोबी से केवाला सं ०-१३२ वर्ष १९४६ के माध्यम से मंगरा भुईयाँ द्वारा क्रय किया गया है, जिसका गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ हस्तांतरण निबंधित केवाला संख्या-१४५६ के माध्यम से वर्ष १९७७ में हुआ है तथा जमाबंदी चल रहा है। लम्बे समय से चल रहे जमाबंदी को निरस्त करने से पहले केवाला की वैद्यता के संदर्भ में सक्षम न्यायालय का आदेश आवश्यक प्रतीत होता है। चूंकि निबंधित केवाला को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय से बाहर है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदकगण के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष एवं अंचल अधिकारी, लातेहार को भेजे।

अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।